



75  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

आदेश

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

द्वारा पारित:

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

महाप्रबंधक (सतर्कता)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

कमरा नं 267, 2nd फ्लोर,

खंड सी, राजीव गांधी भवन

सफदरजंग हवाई अड्डा

नई दिल्ली 110 003

ईमेल: [gmvig@aaiaero](mailto:gmvig@aaiaero)

दूरभाष : 011-20818209 (Extn-2033)

के मामले में:



अपील संख्या.: AAI/VIG/RTI/2025/94/363-364

दिनांक: 28.03.2025

## 1. प्रस्तावना

1.1 यह आदेश सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19 के तहत किया गया है। इस आदेश के विरुद्ध अपील केंद्रीय सूचना आयोग, क्लब बिल्डिंग, ओल्ड जेएनयू कैंपस, नई दिल्ली-110067 में की जा सकती है।

1.2 अपील इस तारीख से 90 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है जिस दिन यह आदेश किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त हुआ था।

## 2. तथ्य

2.1 [REDACTED] ने ऑफलाइन आरटीआई आवेदन दिनांक 23.01.2025 (केंद्रीय सतर्कता आयोग के पत्र सं CVC/RTI/RTI/24/516/51267 दिनांक 29.01.2025 के माध्यम से इस विभाग को RTI अधिनियम 2005 के क्लॉज़ 6(3) के अंतर्गत प्रेक्षित की गई) एवं ऑफलाइन आरटीआई आवेदन दिनांक 23.01.2025 दायर की थी।

2.2 उपरोक्त ऑफलाइन आरटीआई आवेदनों के माध्यम से अपीलकर्ता ने निम्नलिखित जानकारी मांगी थी और उप महाप्रबंधक(सतर्कता)/ के.ज.सू.अ ने दिनांक 11.02.2025 के माध्यम से आवेदक को निम्नानुसार जवाब दिया था:



क्रम संख्या.	मांगी गई जानकारी	उपलब्ध जानकारी
1	Brief details of action taken on the attached complaint.	Information sought cannot be disclosed under section 8(1)(e) of the RTI Act, 2005.
2	Details of the officers name and designation who are in charge for the action taken on the complaint.	
3	In case if no action taken on the said complaint require details of the said officers naes and designation	
4	If action not taken on the complaint specify the reason.	

2.3 आवेदक ने ऑफलाइन माध्यम से प्रथम अपील दिनांक 01.03.2025 दाखिल की है (जो की इस विभाग में दिनांक 05.03.2025 को प्राप्त हुई)।

2.4 अपीलकर्ता ने कहा है कि *"for the said issue several complaints since year 2014 has been made. I have not opposed the scheme but in that I am one of the tenants. the scheme has been continued without taking the NOC from Airports Authority, Civil Aviation they have made the unauthorized illegal construction work due to which many tenants can loose their houses in future. He concerned officers in connection with this subject had under section 8(1)(e) not providing this information. But the information we are asking is relate to the risk of tenants which is related to public issues and cannot be hided and must be provided the said information. The said information must be provided free of cost. "*

### 3. जाँच - परिणाम

3.1 अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई आरटीआई प्रथम अपील की प्राप्ति पर, अधोहस्ताक्षरी द्वारा मामले की जांच की गई, जिसमें यह पाया गया है कि अपीलकर्ता ने एक शिकायत दिनांक 13.08.2024 से संबन्धित जानकारी मांगी है जिसकी प्रति उन्होंने मूल आरटीआई आवेदनों में सन्लग्न की है।

3.2 यह भी पाया गया है कि शिकायत दिनांक 13.08.2024, अपीलकर्ता ने नहीं; अपितु [REDACTED] ने दर्ज की थी। चूंकि जिस शिकायत के विषय में जानकारी मांगी गई है, वह अपीलकर्ता ने दर्ज नहीं की थी, इसीलिए आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ड) के अंतर्गत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं की जा सकती ( धारा 8(1)(ड) -किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वसिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है)

3.3 तदानुसार संबंधित आरटीआई आवेदन का के.ज.सू.अ.(सतर्कता विभाग) द्वारा पत्र संख्या ए.ए.आई./विज/आरटीआई/481&482/2024/112-113 दिनांक 11.02.2025 के माध्यम से उचित रूप से जवाब दिया गया है।

3.4 आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार, प्रथम अपील दायर करने के लिए फीस जमा करने का प्रावधान नहीं है। इसीलिए अपीलकर्ता द्वारा जमा किए गए रु.20/- (बीस रुपये) का IPO संख्या 19G 479596 इस पत्र के साथ लौटाया जा रहा है।

#### 4. निर्णय

उपरोक्त के मददेनजर, अपील का निस्तारण किया जाता है।

सन्लग्नः यथोपरि

*RJ Jain*  
28/03/25

(राजगुरु जैन Rajguru Jain)

महाप्रबंधक (सतर्कता) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी GM(VIGILANCE) & FAA

#### वितरणः

क)



ख) उप. मुख्य सतर्कता अधिकारी (अन्वेषण)/केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, भाविप्रा, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली 110003